

4. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों का विभिन्न प्रकार माध्यमों तथा राज्य और जिला प्रशासनों और विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करें ।

5. इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1.10.1995 से छात्रवृत्ति देने को नियंत्रित करने वाले विनियम अलग-अलग जारी किए जाएंगे ।

6. कृपया इस पत्र को पावतो शीघ्र भेजें ।

भवदीय

§ डाय.के. श्रोवास्तव §
निदेशक एस.सी.डी.

दूरभाष : 3387269

सं 011017/1/92-छात्रवृत्ति सैल नई दिल्ली, दिनांक 14 2 96

प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :

1. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली § सलाहकार, योजना आयोग पिछड़ा वर्ग प्रभाग § ।
2. वित्त मंत्रालय, वय विभाग, योजना वित्त-2 प्रभाग, नई दिल्ली ।
3. सलाहकार, परियोजना मूलांकन एवं प्रबंधन प्रभाग, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली । महिला और बाल विकास विभाग, नई दिल्ली ।
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली ।
6. विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली § क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 25 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित §
8. सूचना अधिकारी, कल्याण मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

§ डाय.के. श्रोवास्तव §
निदेशक एस.सी.डी.